संख्या:89/2019/3819जेएल/22-3-19-100(83)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2019***

विषय: जिला कारागार बलिया में आ रही बाढ़ एवं अतिवृष्टि से बंदियों की बैरकों में जलभराव के कारण 400 बंदियों को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में अस्थाई रूप से स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30002/सामा-1(3)/बलिया/2019, दिनांक 29-09-2019 में किये गये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार बलिया में निरूद्ध 400 बंदियों को बाढ़ की स्थिति सामान्य होने तक अस्थाई रूप से जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया बंदियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की सूचना/अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:89/2019/3819जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, बलिया/अम्बेडकरनगर।
4. पुलिस अधीक्षक, बलिया/अम्बेडकरनगर।
5. अधीक्षक, जिला कारागार बलिया/अम्बेडकरनगर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in